रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012020-215776
CG-DL-E-29012020-215776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2020/माघ 8, 1941
No. 383] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2020/MAGHA 8, 1941

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2020

का.आ. 415(अ).—भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 (1959 का संख्या 57) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद् द्वारा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक समीक्षा समिति का गठन करती है:

1.	डॉ .आर.ए .माशेलकर, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर; पूर्व महानिदेशक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद; अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. प्रणब सेन, भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद; कंट्री डायरेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र भारत कार्यक्रम	-	सदस्य
3.	प्रो .मनीन्द्र अग्रवाल, उप निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग	-	सदस्य
4.	सुश्री सुषमा नाथ, पूर्व वित्त सचिव, भारत सरकार; पूर्व सदस्य, 14वां वित्त आयोग	-	सदस्य
5.	श्री आदिलजैनुलभाई, अध्यक्ष, भारत की गुणवत्ता परिषद; पूर्व अध्यक्ष, मैक्विंज़े इंडिया	-	सदस्य
6.	डॉ .अनिल पी .गोरे, सिटेल भारत की सांख्यिकी सेवाओं के उपाध्यक्ष; पूर्व प्रोफेसर, सांख्यिकी, सावित्रीबाई फुले, पुणे विश्वविद्यालय	-	सदस्य
7.	श्री दीनानाथ खोलकर, उपाध्यक्ष और वैश्विक प्रमुख, एनालिटिक और इंटेलिजेंस, टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज	-	सदस्य

8.	निदेशक**,** भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	-	पदेन सदस्य
9.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का कार्य देखने वाले महानिदेशक/अपर महानिदेशक	-	पदेन सदस्य
10.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / केंद्रीय विश्वविद्यालयों की गतिविधियों के प्रभारी अपर सचिव**/**संयुक्त सचिव	-	पदेन सदस्य
11.	सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग के प्रभारी अधिकारी**,** भारतीय रिजर्व बैंक	-	पदेन सदस्य
12.	श्री आरअग्रवाल .सी., उप महानिदेशक (सेवानिवृत्त), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	-	सचिव

2. उक्त समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं:

क) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में अपने उद्देश्यों को पूरा करने में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की वर्तमान (आईएसआई) स्थिति की समीक्षा करना।

ख) पिछले प्रभागों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना/विभागों/वर्षों के दौरान संस्थान की विभिन्न इकाईयों 10।

ग) प्रवेश, पाठ्यक्रम विषयवस्तु, मूल्यांकन, शुल्क,प्रोत्साहन संबंधी नीति, आदि सहित संस्थान के गैरअनुसंधान शैक्षणिक - कार्यक्रमों की समीक्षा करना।

घ) देश के भीतर तथा बाहर शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग सहित संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों/उपलब्धियों के विस्तार (स्पेक्ट्रम) की समीक्षा करना ।

ङ) देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सांख्यिकी और विश्लेषणात्मक कार्मिकों के लिए आपूर्तिमांग अंतराल को दूर करने हेतु देश की सरकार-, उद्योग और अन्य संगठनों के साथ परस्पर विचार विमर्शसहयोग की / उसकी तीव् विस्तार औररता की समीक्षा करना ।

च) संस्थान के सर्वसमावेशी शासन विधि और प्रशासनिक ढांचें तथा व्यवस्था में विभिन्न शासी और प्रशासनिक संस्थाओं के बीच के अंतरसंबंधों की समीक्षा करना ।

छ) सरकार से अनुदान, राजस्व सृजन गतिविधियां, और उपलब्ध भौतिक परिसंपत्तियां- जैसे संस्थान की गतिविधियों के लिए भूमि, भवन, उपकरण सहित संस्थान के वित्तीय स्रोतों की समौचित्य का मूल्यांकन करना ।

ज) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम,और इसके संस्थापन प्रलेख मे किसी भी संशोधन की आवश्यकता की जांच 1959 करना।

झ) उपर्युक्त पहलुओं की समीक्षा के आलोक में, संस्थान को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के लिये संसाधनों की आवश्यकता सहित पुनर्व्यवस्था / पुनर्गठन के लिये उपयुक्त उपायों की सिफ़ारिश करना ।

ञ) संस्थान द्वारा प्रभावशाली और कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए अन्य सुसंगत पहलुओं का विवरण देना, उनकी जांच और अनुशंसा करना ।

3. भारतीय सांख्यिकीय अधिनियम) की उप धारा 9 की धारा 19592) के उपबंधों के अनुसरण में संस्थान को समिति के गठन की सूचना दे दी गई है ।

4. समिति अपने कार्य की प्रक्रिया स्वयं तय कर सकती है । आवश्यकतानुसार यह अपने सदस्यों के बीच से ही उपसमितियों का गठन कर - सकती है और विचारार्थ विषयों के संबंध में किसी भी बिन्दु पर, यथावश्यक रूप से, देश के अंदरया देश के बाहर के परामर्शी या सुविज्ञ से सलाह ले सकती है ।

5. समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

6. समिति को सचिवीय सहायता सांख्यिकीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी और समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

[फा.सं. I-12011/16/2014-आईएसआई]

के. एस. रेजिमोन, उप महानिदेशक

IndiaCode

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2020

S.O. 415(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Indian Statistical Institute Act, 1959 (57 of 1959), the Central Government hereby constitutes a Review Committee for the Indian Statistical Institute, Kolkata with the following composition:

1.	Dr. R.A. Mashelkar, National Research Professor; former Director General of Council of Scientific and Industrial Research; President, Indian National Science Academy	-	Chairman
2.	Dr. Pronab Sen, Ex-Chief Statistician of India; Country Director, International Growth Centre India Programme	-	Member
3.	Prof. Manindra Agrawal, Deputy Director, IIT Kanpur, Department of Computer Science and Engineering	-	Member
4.	Ms. Sushma Nath, Ex-Finance Secretary, Government of India; Ex-Member, 14th Finance Commission	-	Member
5.	Shri Adil Zainulbhai, Chairman, Quality Council of India; Ex-Chairman, McKinsey India	-	Member
6.	Dr. Anil P Gore; Vice-President of Statistical Services, Cytel, India, ex-Professor of Statistics, Savitribai Phule Pune University	-	Member
7.	Shri Dinanath Kholkar, Vice President and Global Head of Analytics and Intelligence, Tata Consultancy Services	-	Member
8.	Director, Indian Statistical Institute	-	Ex-officio Member
9.	Director General/Additional Director General dealing with Indian Statistical Institute in Ministry of Statistics & Programme Implementation	-	Ex-officio Member
10.	Additional Secretary/Joint Secretary in-charge of activities of University Grants Commission/Central Universities in Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development	-	Ex-officio Member
11.	Officer in-charge of Department of Statistics and Information Management, Reserve Bank of India	-	Ex-officio Member
12.	Shri R.C. Aggarwal, Deputy Director General (Retired), Ministry of Statistics & Programme Implementation	-	Secretary

2. The Terms of Reference of the said Committee are as follows:

a) to review the present status of Indian Statistical Institute (ISI) in fulfillment of its objectives as an institute of national importance.

b) to review the performance of various units/departments/divisions of the Institute during the last 10 years.

c) to review the non-research academic programmes of the Institute, including admissions, course contents, evaluation, fees, incentivisation policy, etc.

d) to review the spectrum of research activities/achievements of the Institute, including collaboration with academic institutes within and outside the country.

IndiaCode

e) to review the extent and intensity of interaction/collaboration with Government, industry and other organizations in the country, in contributing to country's economic and social development needs as also for meeting the supply demand gap for statistical and analytical personnel.

f) to review the overall governance and administrative structure of the Institute and inter-relationships between the different governing and administrative entities in the system.

g) to assess the adequacy of the Institute's financial resources, including grants from Government, revenue generation activities, and available physical assets – like land, buildings, equipment, for Institute's activities.

h) to examine the need for any amendments to the Indian Statistical Institute Act, 1959 and it's Memorandum of Association.

i) in light of the review of the above aspects, to recommend suitable measures, as also reorganization/restructuring, including the requirement of resources, to enable the Institute to play a more effective role in serving the economic and social development needs of the country.

j) to report, examine and recommend on any other aspect considered relevant for effective and efficient functioning of the Institute.

3. In accordance with the provisions of Sub-section (2) of Section 9 of the Indian Statistical Institute Act, 1959, the Institute has been informed about the setting up of the Committee.

4. The Committee may settle its own procedure of work. It may appoint such sub-committees as it may consider necessary from amongst its members and may take the advice of the consultants and experts on any point on matter arising out of its terms of reference from within the country or outside, as it may deem necessary.

5. The Committee shall submit its report within six months from the date of issue of this Notification.

6. Secretarial assistance to the committee shall be rendered by Indian Statistical Institute and the headquarters of the Committee will be at New Delhi.

[F. No. I-12011/16/2014-ISI]

K.S. REJIMON, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.29 22:59:15 +05'30'